>

Title: Need to release due share of water to Rajasthan from Punjab.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) : राजस्थान राज्य को रावी-व्यास जल रणजीत सागर बांध, पोंग बांध एवं भ्खड़ा बांध से प्राप्त होता है। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के नियंत्रण में है एवं अन्य 2 बांध भाखड़ा व्यस प्रबंधन मंडल (B.B.M.S.) के नियंत्रण में हैं। वर्तमान में राजस्थान के हिस्से का लगभग 72000 क्यूसेक दिवस पानी पंजाब रीलीज नहीं कर रहा है। इस कारण से इंदिरा गांधी नहर में पेयजल हेतु भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता 2200 क्यूसेक पानी के विरूद्ध केवल 1100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। जिससे नहरों के अंतिम छोर पर पीने का पानी नहीं, पहुंच रहा है। इस कारण जनता में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर अबकी बार खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में नष्ट हो गई। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विकट हो जाएगी एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि संबंधित राज्यों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध करावें लेकिन इस मामले में भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने अपनी असमर्थता जताई है।

इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय भाखड़ा मंडल को तत्काल निर्देश दें कि राजस्थान के हिस्से का पानी रीलीज करावें। यदि पंजाब रणजीत सागर बांध से पानी नहीं छोड़ता है तो राजस्थान को पंजाब के पोंग एवं भाखड़ा बांध में राज्य के हिस्से के पानी से पानी छोड़ा जावे। इससे पंजाब के हक पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान की पानी की मांग उसके निर्धारित हिस्से के अनुरूप है इसलिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी छुड़वाये।

_

_